

OPERATION CONVICTION

DISTRICT AMETHI

19.07.2018



अभियुक्तों द्वारा वादी को मारना-पीटना एवं मोबाइल छीन लेना।

मु0अ0सं0 155/18



थाना जायस पर मु0अ0सं0 155/18 धारा 452, 342, 323, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त दोष सिद्ध



अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई।

22.09.2026



माननीय न्यायालय एसीजे-01/एसीजेएम रायबरेली द्वारा अभियुक्तों को दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी



श्री कमलेश कुमार
एपीओ

पैरोकार

हे0का0 राज
कुमार सिंह
पैरोकार



का0 राज
कुमार सिंह
पैरोकार

अभियुक्त

1.योगेश जांगिड़ पुत्र रतन कुमार निवासी वार्ड नं0 04 गाढाखेड़ा, झुंझनू सिन्धाना राज्य राजस्थान
2.पराग जांगिड़ पुत्र अशोक वर्मा निवासी म0नं0 12/01 नन्दानगर मेन रोड परदेशीपुर इन्दौर राज्य मध्य प्रदेश, 3.नयन नागर पुत्र नवीन नागर निवासी म0नं0 8/27 काला कुआं, अरावली विहार, अलवर राज्य राजस्थान, 4.शिव सिन्धू पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी म0नं0 जी-850 संगम विहार, दि0पू0 दिल्ली

न्यायालय द्वारा दण्ड



05 वर्ष साधारण
कारावास

+



92,000/- रुपये अर्थदण्ड



थाना : जायस



धारा : 452, 342, 323,
504, 506 भादवि में
दोषसिद्ध



मु0अ0सं0 :
155/18

